भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2680

दिनांक 19.12.2023 को उत्तरार्थ

पंचायत भवन

†2680. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई ग्राम पंचायतें अभी भी समुचित अवसंरचना और अपने अत्यंत बुनियादी स्तर पर पंचायत भवन के बिना कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पंचायत भवनों के बिना कार्य कर रही ग्राम पंचायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि लोकसेवा-प्रदाय में सुधार लाने हेतु पंचायतों के अच्छे कार्य को मान्यता देने के लिए उन्हें मौद्रिक पुरस्कारों के रूप में प्रदान किए जाने वाला प्रोत्साहन पिछले तीन वर्षों के दौरान रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायतों को दिए गए मौद्रिक प्रोत्साहनों/ पुरस्कारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) 'पंचायत' राज्य का विषय होने के कारण, ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए पंचायत भवन उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्यों से विभिन्न स्रोतों से पंचायत भवनों के निर्माण के लिए फंड जुटाने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि मंत्रालय, वर्ष 2022-23 से 2025-2026 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमित पैमाने पर पंचायत भवन प्रदान करके, जैसा कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उनकी वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित और केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति

द्वारा अनुमोदित है, ग्राम पंचायतों के कामकाज में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 35439 ग्राम पंचायतों के पास अपना पंचायत भवन नहीं है। पंचायत भवन रहित ग्राम पंचायतों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों (एनपीए) की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या और पंचायतों को प्रदत्त/जारी किए गए मौद्रिक प्रोत्साहन की राशि **अनुबंध- II** में संलग्न है।

****

अनुबंध-I

'पंचायत भवन' से संबंधित दिनांक 19.12.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2680 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध

पंचायत भवन रहित ग्राम पंचायतों का राज्यवार विवरण

क्र.सं	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**पंचायत भवन रहित पंचायतें**
1	आंध्र प्रदेश	1893
2	अरुणाचल प्रदेश	1356
3	असम	134
4	बिहार	6606
5	छत्तीसगढ़	0
6	गोवा	9
7	गुजरात	775
8	हरियाणा	3137
9	हिमाचल प्रदेश	315
10	जम्मू और कश्मीर	1519
11	झारखंड	88
12	कर्नाटक	460
13	केरल	1
14	मध्य प्रदेश	499
15	महाराष्ट्र	3356
16	मणिपुर	27
17	मेघालय	1358
18	मिजोरम	407
19	नागालैंड	605
20	ओडिशा	0
21	पंजाब	4907
22	राजस्थान	978
23	सिक्किम	20
24	तमिलनाडु	435
25	तेलंगाना	4436
26	त्रिपुरा	34

27	उत्तर प्रदेश	805
28	उत्तराखंड	1230
29	पश्चिम बंगाल	35
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4
32	लक्षद्वीप	-
33	लद्दाख	2
34	पुडुचेरी	-
कुल		35439

<u>**अनुबंध -II**</u>

'पंचायत भवन' से संबंधित दिनांक 19.12.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2680 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों (एनपीए) की राज्य-वार संख्या और पंचायतों को प्रदान/जारी किए गए मौद्रिक प्रोत्साहन की राशि

क्र.सं	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	2020-21		2021-22		2022-23	
		पुरस्कार राशि	प्रदत्त एनपीए की संख्या	पुरस्कार राशि	प्रदत्त एनपीए की संख्या	पुरस्कार राशि	प्रदत्त एनपीए की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.18	3	0	0	0.36	5
2	आंध्र प्रदेश	2.47	14	2.95	16	2.59	16
3	अरुणाचल प्रदेश	0.15	2	0.85	7	0.85	7
4	असम	1.59	9	1.62	9	1.59	9
5	बिहार	2.76	12	2.27	12	2.3	12
6	छत्तीसगढ़	1.54	11	1.6	11	1.69	12
7	दादरा एवं नगर हवेली	0.7	4	0.35	4	0.35	4
8	दमन और दीव	0.35	4	0.32	4		
9	गोवा	0	0	0	0	0	0
10	गुजरात	3.62	13	1.88	13	1.87	13
11	हरियाणा	2.86	9	1.48	9	0.58	2
12	हिमाचल प्रदेश	1.54	9	1.41	9	1.44	9
13	जम्मू एवं कश्मीर	0.6	6	0.36	5	1.4	8
14	झारखंड	1.52	9	1.59	9	1.59	9
15	कर्नाटक	0.1	9	1.87	9	2.67	9
16	केरल	1.75	9	2.1	9	2.65	9
17	लद्दाख	0	0	0	0	0.43	4
18	लक्षद्वीप	0.05	1	0.3	3	0.05	1
19	मध्य प्रदेश	0.05	18	5.13	18	2.72	18
20	महाराष्ट्र	2.31	20	4.6	20	2.71	23
21	मणिपुर	0.25	6	1.76	6	0.94	6
22	मेघालय	0	0	0.05	1	0.05	1

23	मिजोरम	0	0	0.25	4	0.3	5
24	नागालैंड	0.26	4	0.36	5	0	0
25	ओडिशा	2.97	9	1.87	10	2.89	17
26	पंजाब	1.64	13	1.74	13	1.68	13
27	राजस्थान	1.83	11	1.72	11	1.88	12
28	सिक्किम	0.86	6	0.86	6	0.86	6
29	तमिलनाडु	3.56	12	1.87	12	1.8	12
30	तेलंगाना	2.91	10	1.68	12	2.46	19
31	त्रिपुरा	1.36	8	1.43	8	1.4	8
32	उत्तराखंड	2.96	10	1.49	10	1.51	11
33	उत्तर प्रदेश	4.79	38	4.78	38	3.83	28
34	पश्चिम बंगाल	1.65	9	1.95	11	2.75	14
	कुल	**49.18**	**298**	**52.49**	**314**	**50.19**	**322**

***